कार्यालय प्रयोगार्थ

हिमाचल प्रदेश सरकार

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
2019–20

जन–जातीय विकास विभाग शिमला–2

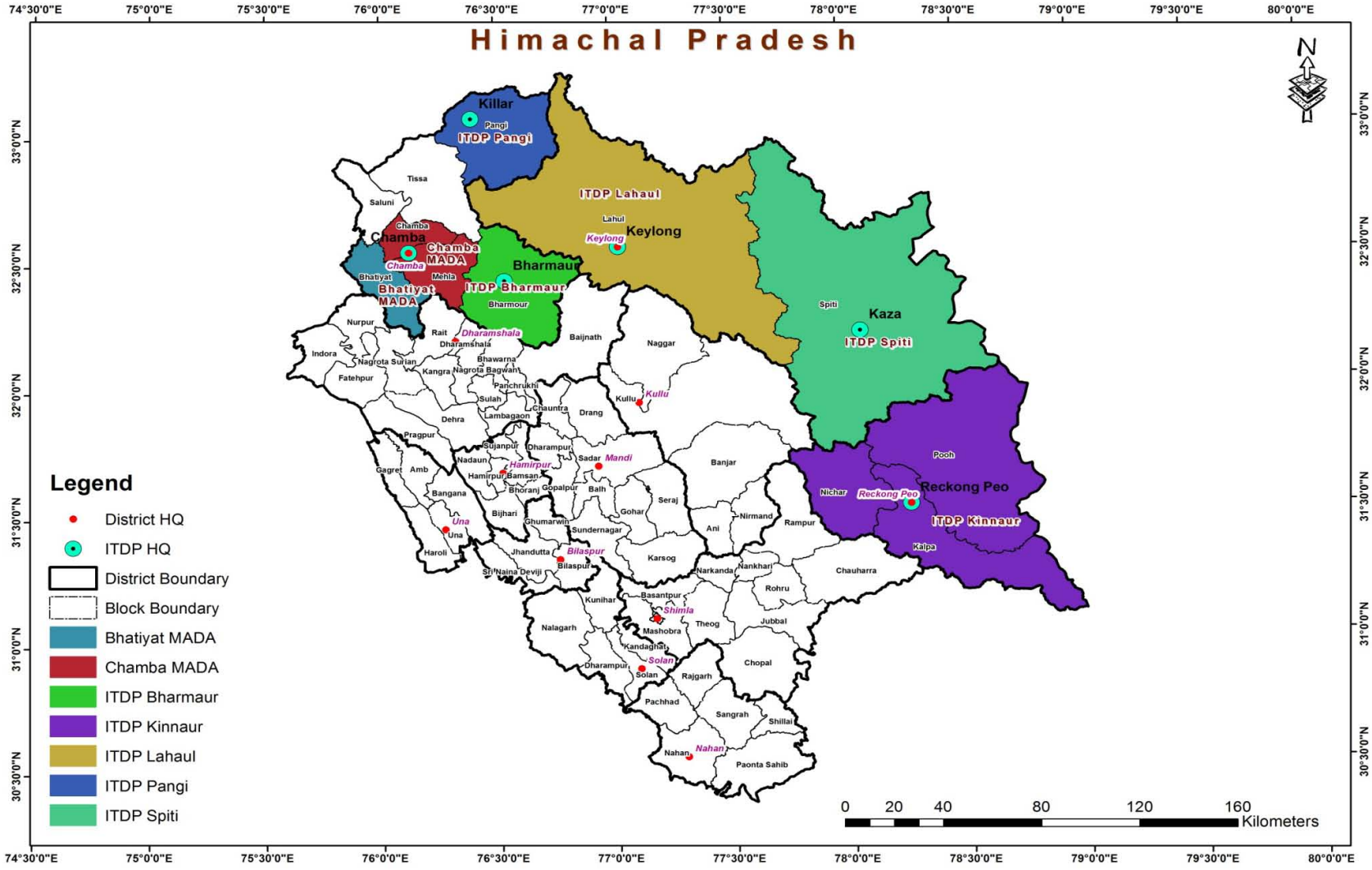

Himachal Pradesh
Legend
District HQ
ITDP HQ
District Boundary
Block Boundary
Bhatiyat MADA
Chamba MADA
ITDP Bharmaur
ITDP Kinnaur
ITDP Lahaul
ITDP Pangi
ITDP Spiti
Killar
Pangi
ITDP Pangi
ITDP Lahaul
Lahul
Keylong
Chamba
Chamba MADA
Bharmaur
ITDP Bharmaur
Bharmour
Bhatiyat
Bhatiyat MADA
Mehla
Tissa
Saluni
Kaza
Spiti
ITDP Spiti
Pooh
Reckong Peo
Nichar
ITDP Kinnaur
Kalpa
Nurpur
Indora
Fatehpur
Nagrota Surian
Rait
Dharamshala
Kangra
Nagrota Bagwan
Bhawarna
Panchrukhi
Sulah
Lambagaon
Baijnath
Dehra
Pragpur
Naggar
Kullu
Drang
Chauntra
Sujanpur
Dharampur
Nadaun
Hamirpur
Bamsan
Bhoranj
Gopalpur
Sadar
Mandi
Balh
Gagret
Amb
Bangana
Bijhari
Una
Haroli
Ghumarwin
Sundernagar
Jhandutta
Bilaspur
Sri Naina Deviji
Banjar
Seraj
Gohar
Ani
Nirmand
Rampur
Karsog
Narkanda
Nankhari
Chauharra
Rohru
Basantpur
Kunihar
Shimla
Mashobra
Theog
Jubbal
Nalagarh
Kandaghat
Dharampur
Solan
Chopal
Rajgarh
Pachhad
Sangrah
Shillai
Nahan
Paonta Sahib
74°30'0"E
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
76°30'0"E
77°0'0"E
77°30'0"E
78°0'0"E
78°30'0"E
79°0'0"E
79°30'0"E
80°0'0"E
33°0'0"N
32°30'0"N
32°0'0"N
31°30'0"N
31°0'0"N
30°30'0"N
0 20 40 80 120 160
Kilometers
N

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना	1–3
2.	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम	4–10
3.	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	11–14
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	15–30
अनुबन्ध		
1.	जनजातीय विकास विभाग संगठन चार्ट	31
2.	शीर्ष/विभागवार वास्तविक व्यय 2018–19 तथा अनुमोदित परिव्यय एवं सम्भावित व्यय 2019–20	32–37

अध्याय–1

पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनजातीय आबादी 3,92,126 है जो कि प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी का 5.71 प्रतिशत है जिसमें से 1,23,585 जनजातीय क्षेत्र में तथा 2,68,541 गैर जनजातीय क्षेत्र में रह रही है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र किन्नौर, लाहौल–स्पिति, पांगी तथा भरमौर परियोजना क्षेत्रों में 31.52 प्रतिशत जनजातीय समुदाय निवास करता है। जनजातीय आबादी का मुख्य जमाव प्रदेश के जिला किन्नौर, लाहौल–स्पिति, चम्बा, कांगड़ा में है इसके अतिरिक्त उनकी उपस्थिति कुल्लू, मण्डी, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला तथा सिरमौर जिलों में भी है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय उप–योजना का प्रारम्भ हुआ तथा इसके अच्छे परिणाम के उद्देश्य से जनजातीय उप–योजना के कार्यान्वयन हेतु एक सामरिक नीति तैयार की गई। 9 जून, 1976 को जनजातीय विकास विभाग की स्थापना की गई और आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, को विभागाध्यक्ष बनाया गया तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी तैनात किये गये। वर्ष 1981 में इस विभाग में अनुसूचित जाति के कल्याण सम्बन्धी विशेष घटक योजना को भी शामिल किया गया जिसके उपरान्त इसका नाम अनुसूचित जाति एवं अनसुचित जनजाति विकास विभाग रखा गया। मई, 2002 में अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (कल्याण विभाग) को स्थानांतरित होने से अब इस विभाग को जनजातीय विकास विभाग के नाम से जाना जाता है।

1.1 विभाग का संगठनात्मक ढांचा.––वर्ष 2019–20 के दौरान जनजातीय विकास विभाग का प्रभार माननीय डॉ0 राम लाल मारकण्डा जी मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास रहा। श्री ओ0सी0 शर्मा, भा0प्र0से0 ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रधान सचिव एवं आयुक्त (ज0जा0वि0) के रूप में माननीय जनजातीय विकास मन्त्री महोदय को सहयोग दिया। क्षेत्रीय स्तर पर 5 स्थानों पर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय क्रमशः किन्नौर (रिकांगपिओ), लाहौल (केलांग), स्पिति (काजा), पांगी (किलाड़) तथा भरमौर कार्यरत हैं। इन सभी कार्यालयों का नियन्त्रण मुख्यालय स्तर पर है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबन्ध.**१ पर है।

1.2 विभाग के विषयों का आबंटन :–

(1) अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सामाजिक सुरक्षा
(2) जनजातीय कल्याण योजना, नीति निर्धारण करना, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण देना
(3) अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां
(4) अनुसूचित जनजातियों के विकास में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना
(5) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन
(6) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना।
(7) राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा वित्तीय संस्थानों से चिन्हांकित की जाने वाली धनराशि का प्रवाह जनजातीय उप–योजना की ओर सुनिश्चित करना।
(8) जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन तथा उचित कार्मिक नीति का अपनाया जाना।
(9) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय हेतु जनजातीय विकास विभाग **"नोडल विभाग"** है

1.3 जनजातीय विकास कार्यनीति –ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

जनजातीय लोगों एवं जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट विकास कार्यनीति विकसित करने के लिए जनजातीय उप–योजना का आरम्भ पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 में हुआ था। जनजातीय उप–योजना के लिए अपनाई गई सामरिक नीति के मुख्य अंश हैं:

(1) प्रदेश में ऐसे विकास खण्डों को चिन्हांकित करना जहां पर जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य है तथा ऐसे क्षेत्रों को एकीकृत विकास एवं परियोजना आधारित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बनाया गया।

(2) राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा वित्तीय संस्थानों से चिन्हांकित की जाने वाली धनराशि का प्रवाह जनजातीय उप–योजना की ओर सुनिश्चित किया जाना, तथा

(3) जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन तथा उचित कार्मिक नीति का अपनाया जाना। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप–योजना के लिए अपनाई गई सामरिक नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं तथा जनजातीय क्षेत्र व वहां के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गति आई है। सामरिक नीति द्वारा समान्यतः योजना निर्माताओं तथा योजना क्रियान्वयनकर्ताओं के ध्यान को जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की ओर आकर्षित किया गया है तथा इन क्षेत्रों एवं समुदायों के विकास को अधिक समेकित रूप से किये जाने पर बल दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में निवेश में एक विशेष उछाल आया है।

इसके अतिरिक्त आठवीं योजना के अन्त में जनजातीय उप–योजना के निर्माण में महाराष्ट्र पद्धति का सूत्रपात किए जाने से एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है। पूर्व योजना निर्माण की प्रक्रिया को शिखर से तह तक बिल्कुल विपरीत कर दिया गया तथा पृथकीकृत योजना निर्माण एकीकृत जनजातीय क्षेत्रों पर आधारित, आरम्भ की गई। इस प्रकार के प्रबन्ध से जनजातीय विकास विभाग जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की महत्ता निर्धारित करने तथा उन्हें आवश्यकतामूलक बनाने में सक्षम हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अपनाई गई इस प्रक्रिया को जारी रखा गया है। भारत के योजना आयोग तथा कल्याण मन्त्रालय अब जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002 में लोगों के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवाओं, गरीबी उन्मूलन तथा खाद्यान्न सुरक्षित किए जाने के प्रावधान आदि के क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन–स्तर में सुधार सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से सात मूलभूत न्यूनतम सेवाएं जैसे पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, आश्रय रहित लोगों को मकान, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था, ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण तथा लोक वितरण प्रणाली को नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002–2007 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 के दौरान आर्थिक सेवाएं क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई तथा यातायात को प्राथमिकता दी गई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 में जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी गई जिसमें सड़कें, यातायात, कृषि, बागवानी तथा सम्बद्ध सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। वार्षिक योजना 1991–92 से लेकर जनजातीय उप–योजना का आकार प्रदेश की सम्पूर्ण वार्षिक योजना का 9 प्रतिशत ही रखा जा रहा है।

1.4 जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्त्रोतों से आती हैं :–

1. राज्य योजना
2. विशेष केन्द्रीय सहायता
3. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें
4. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1.5 जनजातीय उप–योजना 2019–20 के तहत उपलब्ध राशि का सैक्टरवार ब्योरा :

(रु0 लाखों में)

सैक्टर	परिव्यय	सम्भावित व्यय
राज्य योजना	52022.00	52022.00
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2778.00	2778.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	2320.00	2320.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	6780.00	6780.00
कुल	**63900.00**	**63900.00**

वित्त वर्ष 2018–19 का वास्तिवक व्यय तथा 2019–20 का परिव्यय एवं सम्भावित व्यय का ब्योरा **अनुबन्ध–2** पर है।

अध्याय–2

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

जनजातीय विकास के लिए अपनाई गई प्रक्रिया.––जनजातीय विकास विभाग अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास हेतु कार्यक्रमों का समन्वय करने तथा प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी नीतियों और योजनाओं को निरूपित करने वाला नोडल विभाग (छवकंस क्मचंतजउमदज) है। इन समुदायों के विकास हेतु योजनाओं एवं सेक्टोरल कार्यक्रमों के सम्बन्ध में नीतियों एवं योजनाओं का निरूपण करने तथा उनका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं उनके समन्वय का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/विभागों के प्रशासकों का है। जनजातीय विकास विभाग प्रदेश के अनुसूचित जनजाति समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रत्येक विभाग के प्रयासों को समर्थन देता है तथा जिन विभागों को स्कीमों/कार्यक्रमों के संचालन में मुश्किल आती है उन्हें दूर करने में समन्वय स्थापित करता है।

जनजातीय सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी एवं एकीकृत ढंग से कार्यान्वयन किया जाये, इसके लिए उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन, उचित कार्मिक नीति तथा वित्तीय व्यवस्था अपनाई गई है।

जनजातीय उप–योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई सामरिक–नीति से अनुसूचित क्षेत्रों तथा वहां रह रहे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से योजना तथा गैर–योजना स्कीमों के लिए निर्धारित बजट के क्षेत्रवार सदुपयोग के लिए पृथक मांग का सृजन किया गया है। वर्ष 1981–82 में सृजित की गई इस मांग का नाम मांग संख्या–35 था जो अब मांग संख्या–31 है। इस मांग का संचालन एवं नियन्त्रण, जनजातीय विकास विभाग के पास है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा आर्थिक स्थिति भिन्न होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित/आबंटित राशि केवल मात्र इन्हीं क्षेत्रों में खर्च हो तथा क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार विकास हो, के उद्देश्य से यहां के भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या अनुपात तथा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए राशि आबंटन की क्षेत्रवार प्रतिशतता निर्धारित की गई है जो निम्नोक्त है :

किन्नौर	30 प्रतिशत
लाहौल	18 प्रतिशत
स्पिति	16 प्रतिशत
पांगी	17 प्रतिशत
भरमौर	19 प्रतिशत

राज्य सरकार की योजना नीति अनुसार अनुसूचित जनजातीय विकास के लिए राज्य सरकार के योजना विभाग द्वारा जनजातीय उप–योजना के लिए राज्य की कुल योजना राशि का 9 प्रतिशत भाग चिन्हांकित किया जाता है जो प्रदेश की जनजातीय आबादी तथा अनुसूचित क्षेत्रों पर सैक्टोरल प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाता है।

जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता.––विशेष केन्द्रीय सहायता राशि जनजातीय उप–योजना के योगज के रूप में जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रदेश सरकार के प्रयासों में मदद करती है। पूर्व में इसका उद्देश्य जहां मूल रूप से परिवार आधारित आय–सृजन कार्यकलापों में मुख्य अन्तर को भरना था अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें न केवल परिवार आधारित रोजगार एवं आय सृजन कार्यकलापों को बल्कि सामुदायिक कार्यकलापों को भी शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम के अधीन निर्धारित दिशा–निर्देशों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं :

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता

2. विशेष केन्द्रीय सहायता राशि का व्यय प्राथमिक योजनाओं जैसे परिवार/स्वयं सहायता समूह/कृषि बागवानी, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमित विकास, समुदाय आधारित रोजगार एवं आय–सृजन के लिए किया जाना।
3. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक लघु योजनाएं तैयार करना
4. विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों का एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बार निर्धारण करना
5. प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान.––संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विकास की उन परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है जिन्हें राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भागों के स्तर तक ऊंचा उठाना चाहती है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा ₹ 5314.08 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा संस्थानों, कृषि, उद्यान, पशुपालन, कौशल विकास, वन अधिकार अधिनियम आदि पर व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 के लिए अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त हुई राशि में से ₹ 340.08 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल निचार, जिला किन्नौर, लाहौल स्थित वारिंग, पांगी स्थित किलाड़ तथा भरमौर स्थित खणी में किया गया। इसके अतिरिक्त मु0 22.00 करोड़ रुपये एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल लाहौल स्थित वारिंग तथा पांगी स्थित किलाड़ के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत किये गए।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम.––इस योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भी भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का सीमा प्रबन्धन विभाग वार्षिक आधार पर धनराशि उपलब्ध करवाता है। प्रथम बार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 में रु0 4.00 करोड़ रुपये जनजातीय उप–योजना के अतिरिक्त प्राप्त हुए जो कि 2002–03 में बढ़कर रु0 10.97 करोड़ रुपये हो गए। परन्तु वर्ष 2003–04 से इसका प्रावधान जनजातीय उप–योजना में ही किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की 90:10 की भागीदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछले वर्षों की अवधि में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित बज़ट/परिव्यय का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	बजट/परिव्यय (लाखों में)
2002–03	1097.85
2003–04	416.00
2004–05	1148.96
2005–06	642.05
2006–07	1269.00
2007–08	1119.00
2008–09	1297.00
2009–10	1276.00
2010–11	1280.00
2011–12	2000.00
2012–13	2320.00
2013–14	2100.00
2014–15	2100.00
2015–16	2310.00

(राशि लाख रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा (90 प्रतिशत)	राज्य हिस्सा (10 प्रतिशत)	कुल
2016—17	3100.00	344.44	3444.44
2017—18	3500.00	278.00	3778.00
2018—19	2595.00	399.44	2994.43
2019—20	2749.53	305.50	3055.05

नाभिक बजट.——ऐसे स्थानीय विकासात्मक कार्यों जिनके लिए वर्ष के दौरान बजट उपलब्ध नहीं हो पाता परन्तु इन कार्यों के निष्पादन की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होती हो, के कार्यान्वयन हेतु नाभिक बजट के तहत प्रत्येक स्कीम/कार्य के लिए ॄ 1.00 लाख तक की धनराशि आबंटित की जाती है। वर्ष 2019—20 में जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में 90.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई।

विकास में जन सहयोग तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत 445.00 लाख रुपये व्यय किए गए।

जनजातीय विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियां:—

जनजातीय लोगों की जीवन पद्धति पर्यावरण के अनुकूल, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप है। जनजातीय लोग पूर्णतया पारिस्थितिक लोग होते हैं। यद्यपि जनजातीय समुदाय प्रदेश भर में फैले हुए हैं लेकिन अधिकांश जनजातीय आबादी प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में रहती है जो अत्यन्त पिछड़े तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं। ये विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां आधारभूत सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों का नितान्त अभाव है। प्रदेश में जहां जनसंख्या घनत्व 123 है वहीं इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व केवल 7 है।

सड़कें एवं पुल.——पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1974—75 में जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की कुल लम्बाई मात्र 684 कि0मी0 थी। जनजातीय उप—योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में 31—03—2020 तक 2738 कि0 मी0 मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया गया जिसमें से 1443 कि0मी0 पक्की सड़कें हैं। इन क्षेत्रों के विकास हेतु एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना पद्धति तथा प्रत्येक परियोजना क्षेत्रों के लिए पृथक बजट निर्धारण के परिणामस्वरूप 3/2020 तक जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति इस प्रकार है:—

ब्जमहवतल	डवजवतंइसम तवंक समदहजी पद ज्ञउे		
	ैपदहसम स्दम	क्वनइसम स्दम	ज्वजंस
; ।द्ध ैज।ज्म त्व।कै			
;पद्ध डंरवत क्पेजतपबज त्वंके	151	0	151
;पपद्ध व्जीमत त्नतंस त्वंके	1954	15	1969
ज्वजंसरू	**2105**	**15**	**2120**
;ठद्ध ब्म्छज्त्।स् त्व।कै			
;पद्ध छंजपवदंस भ्पहीूंले	66	34	100
;पपद्ध ठवतकमत त्वंके ूपजी क्ळठत्	301	217	518
ज्वजंसरू	**367**	**251**	**618**
;ब्द्ध ज्वजंस तवंक समदहजी नचजव 3ध्2020	**2472**	**266**	**2738**
त्वंक क्मदेपजल ीपमअमक ज्ञउे ;चमत 100 ेुण ज्ञउद्ध			**11ण्57**
डमजंससमक – जंततमक समदहजी वनज व िजवजंस समदहजी			1443 ;52ण्70ःद्ध

टपससंहमे बवददमबजमक नचजव 31.03.2020 ;वनज वि 480 छवण् अपससंहमे पद ज्तपइंस ंतमंद्ध			276 ;57ण्50ःद्ध

सिंचाई व्यवस्था.——अनुसूचित जनजातीय लोगों के पास मुख्यतः ऐसी भूमि है जो सिंचाई हेतु वर्षा या बर्फ पर आश्रित है तथा इसी कारण इनकी उत्पादकता कम है। दुर्गम तथा ऊंची–नीची पहाड़ी भूमि होने के कारण सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था अधिकांश जगहों पर नहीं है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उचित तकनीकी, जलसांभर (वाटर शैड) जलसंग्रह, लघु सिंचाई की सहायता से जनजातीय भूमि की आवश्यक नमीधारण क्षमता का विकास किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2019–20 में लघु सिंचाई के अन्तर्गत 27.55 करोड रुपये का मूल प्रावधान किया गया।

शिक्षा.——सामाजिक उत्थान में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि सामाजिक एवं पर्यावरण वास्तविकताओं के बारे में जागरूक करने के इलावा राष्ट्र के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। जहां वर्ष 1971 की जनगणना में साक्षरता दर 21.99 प्रतिशत थी वहीं 2011 की जनगणना में यह 77.10 प्रतिशत हो गई है जबकि प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है। जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 1976–77 तथा 2019–20 में विभिन्न शिक्षण संस्थानों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	शिक्षण संस्थान	वर्ष 1976–77	वर्ष 2019–20
1.	प्राथमिक पाठशाला	280	557
2.	माध्यमिक पाठशाला	50	96
3.	उच्च पाठशाला	24	47
4.	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला	–	81

इसके अतिरिक्त 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 2 नवोदय विद्यालय, 2 केन्द्रीय विद्यालय तथा 4 महाविद्यालय हैं। लगभग प्रत्येक गांव में प्राथमिक पाठशालाएं हैं और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1–1.5 कि0मी0 से अधिक नहीं चलना पड़ता है। इसी प्रकार 2–3 कि0मी0 की दूरी पर माध्यमिक पाठशाला स्थापित है। बच्चों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े इसके लिए उचित स्थानों पर छात्रावास/आवासीय स्कूलों की सुविधा भी उपलब्ध है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं/प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं जो कि इस प्रकार से हैः–

(1) आई0 आर0 डी0 पी0 छात्रवृत्ति
(2) लाहौल–स्पिति पद्धति पर छात्रवृत्ति
(3) निशुःल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा लड़कियों को मुफ्त वर्दी
(4) प्राथमिक/माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भ्वज डपक क्ंल डमंस
(5) च्वेज डंजतपब ैबीवसंतेीपच
(6) डमतपज ैबीवसंतेीपच जव ैज ठवलेध्ळपतसे
(7) ठाकुर सेन नेगी डमतपजवतपने ैबीवसंतेीपच

अनुसूचित जनजातीय लड़कियों/लड़कों के छात्रावास की योजना.——अनुसूचित जनजातीय लड़कियों/लड़कों के लिए छात्रावास की योजना का प्रारम्भ प्रदेश में वर्ष 1997–98 में किया गया था। छात्रावासों की योजना अनुसूचित जनजातियों के लड़के/लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक लाभदायक तन्त्र है। इस योजना के अन्तर्गत नए छात्रावास भवनों के निर्माण तथा विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा योजना के अन्तर्गत छात्रावासों के निर्माण व विस्तार हेतु केन्द्र तथा राज्य के बीच 50:50 के

अनुपात में बराबर–बराबर लागत वहन की जाती थी। वर्ष 2009–10 से इस योजना के अन्तर्गत छात्राओं के छात्रावास के निर्माण हेतु शत–प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना/राजीव गांधी आवास योजना.––ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना के अन्तर्गत प्रति आवास रु0 1,50,000/– की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 2019–20 में इन कार्यक्रमों के तहत मु0 214.00 लाख रुपये का मूल प्रावधान किया गया।

स्वास्थ्य.––जनजातीय क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत वर्ष 2019–20 के दौरान 5 जिला/नागरिक चिकित्सालय, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 105 उप–स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत रहे।

पशुपालन.––जनजातीय समुदाय का कृषि के साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है, जिसके दृष्टिगत वर्ष 2019–20 के दौरान इन क्षेत्रों में 51 पशु चिकित्सालय/केन्द्रीय पशु चिकित्सालय तथा 116 पशु औषधालय कार्यरत रहे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, सोलन.––इस निगम द्वारा प्रदेश के जनजातीय लोगों के विकास व आर्थिक उत्थान के लिए व्यापक पग उठाये हैं जिसमें मुख्यतः स्वरोजगार स्कीमें, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम दर पर बैंक ऋण सुविधा व परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत सीमान्त पूंजी जो कि ₹ 10,000/– अधिकतम है, का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 में इस निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत ₹ 97.00 लाख की राशि प्रदान की गई।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006.––भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया था तथा द्वितीय चरण में मार्च, 2012 से यह अधिनियम गैर जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। दिसम्बर, 2020 तक 35 मामलों में 1918.9369 है0 पर सामुदायिक तथा 129 मामलों में 2.4129 है0 व्यक्तिगत वन अधिकारों के पट्टे वितरित किए गए तथा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए परिवर्तन के 1717 मामले दिसम्बर 2019 तक स्वीकृत किए गए।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों में रह रहे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों जो कि पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं परन्तु उनके अधिकारों को अंकित नहीं किया जा सका तथा वन भूमि पर व्यवसाय, को पहचानना और चिन्हित करना है तथा इसके लिए रूपरेखा का प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन करना है। कोई भी जनजातीय व्यक्ति या समुदाय ग्राम सभा के सम्मुख निम्न शर्तों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकता हैः

- वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो
- स्थाई जीविका हेतु वन पर निर्भर हो
- 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि का अभिग्रहण (कब्जा) तथा 2 जनवरी, 2007 तक निरन्तर स्वामित्व हो।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996.––पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 लघु वन उत्पाद का स्वामित्व सम्बन्धित ग्राम सभा को सौंपने की व्यवस्था करता है तथा यह अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है।

राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश करने तथा इसका संशोधन करने हेतु अनुसूचित क्षेत्रों विशेषतः किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति जिलों में पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास कर रहे मूल अनुसूचित जाति समुदाय की मांग थी कि राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, अधिनियम, 1996 में पंचायती राज संस्थाओं के पदों को भरने में इन क्षेत्रों के मूल अनुसूचित जाति समुदाय को भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप भाग लेने का हक मिल सके। इस प्रकार की मांग को पूरा करने हेतु ैबीमकनसमक ब्ंजमे ंदकैबीमकनसमक ज्तपइमे व्तकमते ;।उमदकउमदजद्ध ।बजए 2002 पारित किया गया, जो दिनांक 7–01–2003 से लागू है। इस विभाग के पत्र दिनांक 13–01–2003 द्वारा सभी विभागों/बोर्डों/निगमों को ैबीमकनसमक ब्ंजम ंदक ैबीमकनसमक ज्तपइमे व्तकमते ;।उमदकउमदजद्ध ।बजए 2002 के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में उचित प्रविष्टियां करने के आदेश जारी किये गये हैं।

जनजातीय अनुसन्धान संस्थान.––जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की योजना श्ैनचचवतज जव ज्तपइंस त्मेमंतबी प्देजपजनजम ;ज्त्प्द्धश के अन्तर्गत जनजातीय अनुसंधान को वर्ष 2018 में जनजातीय विकास विभाग में ही स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित और स्वीकृत किये जाते हैं जिस पर शत्–प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य जनजातियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान और मूल्यांकन अध्ययन, विचार–गोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजन तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा जनजातीय उप–योजना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2019–20 के लिए जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार ने प्रदेश के लिए 107.40 लाख रुपये की प्रस्तावनाएं अनुमोदित की हैं जिसमें से अब तक राशि मु0 53.70 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के शिक्षा व सामाजिक सुधार कार्य में लगे गैर– सरकारी संगठनों को वितीय सहायता अनुदान योजना.––इस योजना के अन्तर्गत छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गैर–आवासीय विद्यालय हेतु जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान जनजातियों से सम्बन्धित 5 गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए गए जो निम्न प्रकार हैं:–

1.	द इन्स्टीटयूट ऑफ स्टडीज़ इन बुद्धिस्ट फिलोसिफी एण्ड ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी, ताबो, स्पिति जिला लाहौल–स्पिति।	आवासीय स्कूल
2.	रिंचन जंगपो सोसाईटी फॉर स्पिति डवैलपमैन्ट स्थित योल कैन्ट जिला कांगड़ा।	आवासीय स्कूल
3.	हिमालयन बुद्धिस्ट कलचरल ऐसोसियेशन, बटाहर बिहाल, डा0 घर हरिपुर, जिला कुल्लू।	आवासीय स्कूल
4.	बुद्धिस्ट कलचरल सोसाईटी कीह गोम्पा, स्पिति जिला लाहौल–स्पिति।	छात्रावास
5.	रमधा बुद्धिस्ट सोसायटी, सिद्धपुर धर्मशाला, जिला कांगड़ा	छात्रावास

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण.––यह योजना वर्ष 1997–98 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य प्रयोजन जनजातीय युवाओं के कौशल का विकास करना है ताकि उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम के माध्यम से जनजातीय लड़कों/लड़कियों को प्रशिक्षण देकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान मु0 239.00 लाख रुपये की राशि (मु0 149.00 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता में तथा मु0 90.00

लाख रुपये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में) आबंटित की गई तथा 967 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना.––इस योजना का प्रयोजन अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठयक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना में विभिन्न स्तरों के व्यावसायिक, तकनीकी तथा अव्यावसायिक व अतकनीकी पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तिम वर्ष 2001–02 में किया गया व्यय राज्य सरकार का प्रतिबद्ध देयता व्यय बन गया है जिसे वर्ष 2002 से आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से प्रत्येक वर्ष के दौरान वहन किया जाना अपेक्षित है।

(रुपये लाखों में)

वर्ष	लाभार्थी	राज्य प्रतिबद्ध देय	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि	कुल
2003–04	3262	36.10	1.31	37.41
2004–05	3600	36.10	7.86	43.96
2005–06	4000	36.10	6.61	42.71
2006–07	3930	36.09	49.31	85.40
2007–08	4716		17.09	17.09
2008–09	2271		10.00	44.62
2009–10	2368		49.94	49.94
2010–11	2816		113.99	113.99
2011–12	4688		1141.84	1141.84
2012–13	3606		1196.70	1196.70
2013–14	4550		1290.32	1290.32
2014–15	2249		1273.76	1273.76
2015–16	6342		1350.00	1350.00
2016–17	3739		931.36	931.36
2017–18	2204		3125.36	3125.36
2018–19	4729		278.15	278.15
2019–20	2346		913.00	913.00

संशोधित योजना के अनुसार दिनांक 01–04–2003 तथा 01–07–2010 से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों को 4 वर्ग में बांटा गया है और प्रतिमास अनुरक्षण भत्ता निर्धारित किया गया है। यह योजना शत–प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है तथा इसके अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 है।

अध्याय–3

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियांः

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया है। इसलिए अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारम्भिक लोक अधिसूचना के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जायेंगे। इस सूची में आगे कोई भी संशोधन संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष से सम्बन्धित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति ही माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए उनका निर्धारण एक समिति द्वारा किया गया तथा ये विशेषताएं हैंः–

(क) आदिम जनजातीय गुण,
(ख) अनूठी संस्कृति,
(ग) आम लोगों से संपर्क करने में कतराना,
(घ) भौगोलिक अलगाव, और
(ङ) पिछड़ापन–सामाजिक और आर्थिक

अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 08–01–2003, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधन ऐक्ट, 2002 में पंजाब के कुछ क्षेत्र जो हिमाचल में विलय हुए थे, में निवास कर रहे गद्दी व गुज्जरों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1950–ट के खण्ड अधिनियम में 9 और 10 पर निम्न जातियों के इन्द्राज को भी शामिल किया गया।

9. बेटा, बेड़ा
10. डेम्बा, गारा, जोबा

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के अधिक दूरदराज क्षेत्र, जलवायु व भौगोलिक परिदृष्टि से विषम तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी जनजातीय क्षेत्र घोषित कराने और इस मामले को भारत सरकार से उठाने में सतत प्रयासरत है। इस संदर्भ में जिला सिरमौर गिरीपार क्षेत्र के सम्बन्ध में लोकुर समिति द्वारा तय किये गये मापदण्डों पर जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट जनजातीय मन्त्रालय को भेजी गई है। इसके बाद सचिव, भारत सरकार जनजातीय कार्य मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में एक पूर्ण नृवंश विज्ञान (म्जीदवहतंचीपबंस) अध्ययन करवाने और जल्द से जल्द मन्त्रालय को एक नया प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, तदोपरान्त राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर पुनः निरीक्षण करके हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने तथा गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है तथा इस पर अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जिला शिमला, डोडराक्वार, चिड़गांव, रामपुर बुशहर तहसील का पिछड़ा क्षेत्र 6/20, 12/20 तथा 15/20 क्षेत्र के सम्बन्ध में अध्ययन करवाने व किये गये अनुसन्धान का विवरण सहित रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु जनजातीय अध्ययन संस्थान हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला को 3.00 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस संस्थान से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इस प्रकरण में समुचित कार्रवाई की जाएगी।

जनजातियों का विवरण :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 3,92,126 है जो प्रदेश की कुल आबादी का 5.71 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 के बीच 50.48 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई गई है जो कि मुख्यतः वर्ष 1966 में प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्रों (जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू तथा जिला सोलन के कंडाघाट तथा नालागढ़ उपमण्डल) में रह रहे गद्दी एवं गुज्जर समुदायों को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से हुई है। जिला किन्नौर, जिला लाहौल–स्पिति, जिला चम्बा के पांगी तथा भरमौर तहसीलों में आधे से ज्यादा आबादी जनजातीय बहुलता की है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी बिखरी हुई है। जिला चम्बा के दो क्षेत्रों चम्बा तथा भटियात जिनमें जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक है को ड।क। घोषित करके विशेष पॉकेट का दर्जा दिया गया है और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक से राशि का निर्धारण किया गया है।

प्रदेश का 42.49 प्रतिशत भाग जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है जिनमें ये परिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में जंगलों, पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। प्रदेश में रह रहे जनजातीय लोगों ने जहां एक ओर रहन–सहन के गैर–जनजातीय तौर–तरीके अपना लिए हैं वही दूसरी ओर ये (क) कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, (ख) स्थिर जनसंख्या, (ग) कम साक्षरता, तथा (घ) अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर की विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :–

जनगणना वर्ष	जनजातीय क्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता						
	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	**कुल**	**राज्य**
2001	71.83	70.65	77.82	87.15	80.46	**75.61**	**4.02**
2011	57.95	79.36	84.64	90.18	82.12	**71.16**	**5.71**

प्रमुख जनजातियां :

भारत के संविधान (अनुसूचित जनजातीय) अधिनियम, 1950 के खण्ड–ट तथा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 8–01–2003 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधन ऐक्ट, 2002 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में उदृत जनजातियां निम्नोक्त हैं:–

1. भोट, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड़, लाम्बा, खाम्पा
5. कनौरा, किन्नरा
6. लाहुला
7. पंगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेड़ा
10. डेम्बा, गारा, जोबा

जनसंख्या प्रोफाईल : वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10,42,81,034 है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 392126 है जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या की 5.71 प्रतिशत है।

जनसंख्या वृद्धि.––जनजातीय जनसंख्या में वर्ष 1981 से 1991 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान देश में 13.14 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है जबकि प्रदेश में यह बढ़ौतरी 20.79 प्रतिशत रही। जनगणना वर्ष 1991–2001 के बीच देश में जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर 9.88 प्रतिशत रही जबकि प्रदेश की यह बढ़ौतरी 17.54 प्रतिशत रही। 2001–2011 के बीच देश में जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.70 प्रतिशत रही जबकि प्रदेश की यह बढ़ौतरी 50.48 प्रतिशत हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की अधिकतम वृद्धि दर स्पिति में 16.65 प्रतिशत तथा न्यूनतम वृद्धि दर लाहौल में –15.25 प्रतिशत रही।

लिंग अनुपात.––2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 972 महिलाएं) की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुष के मुकाबले 877 महिलाएं हैं जो प्रदेश की तुलना में कम है विशेषकर किन्नौर तथा स्पिति में यह अन्य जनजातीय क्षेत्रों के मुकाबले कम है।

साक्षरता : 2001–2011 के बीच जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 70.37 प्रतिशत से बढ़ कर 77.10 प्रतिशत हुई है जबकि प्रदेश में समग्र साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत से बढ़ कर 82.80 प्रतिशत हुई है। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 62.28 प्रतिशत से बढ़ कर 67.41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रदेश में समग्र महिला साक्षरता दर 67.40 प्रतिशत से बढ़ कर 75.93 प्रतिशत हुई है। जनगणना वर्ष 2001–2011 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों की साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है : –

	जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर						
	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	कुल	राज्य
2001 जनगणना							
कुल	75.27	72.64	74.10	60.30	62.18	70.37	76.50
पुरुष	84.44	81.23	86.40	74.60	73.53	81.00	85.00
महिला	64.77	61.60	58.70	44.20	67.64	62.28	67.40
2011 जनगणना							
कुल	80.00	74.97	79.76	71.02	73.85	77.10	82.80
पुरुष	87.27	84.59	87.37	82.52	82.55	85.50	89.53
महिला	70.96	64.50	70.74	59.27	64.67	67.41	75.93

स्वास्थ्य संकेतक.––बाल मृत्यु दर का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। भारत व हिमाचल प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति (ै.2018 अनुसार) निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :–

सूचकांक	**शिशु मृत्यु दर/1000**	**5 वर्ष या उससे नीचे मृत्यु दर/ 1000**	**जन्म दर/ 1000**	**मृत्यु दर/ 1000**
भारत	32	36	20.0	6.2
हिमाचल प्रदेश	19	23	15.7	6.9

राजनीतिकः

पांचवीं अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यों के राज्यपालों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने के लिए

राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद् की स्थापना की गई है जिसमें वर्तमान में 18 सदस्य तथा 4 विशेष आमन्त्रित महिला सदस्य हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के सदस्यों के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे विधानसभा सदस्य भी इस परिषद के सदस्य हैं। सामान्यतः इस परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा अब तक इसकी 47 बैठकें हो चुकी हैं। यद्यपि यह परिषद् अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित अपनी सलाह देती है परन्तु अधिकतर सुझाव राज्य सरकार द्वारा मान लिए जाते हैं।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मुद्दा.––यदि कोई व्यक्ति जन्म से एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा करता है तो यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :

(1) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तव में सम्बन्धित हैं;
(2) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि अधिसूचना की तारीख को सम्बन्धित क्षेत्र के स्थाई निवासी होने चाहिए;
(3) कि वह जाति/समुदाय अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल हैं;
(4) वह व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थाई निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है यदि उसकी जनजाति उस क्रम में उसके राज्य क्षेत्र में विनिर्दिष्ट की गई हो।

देशान्तरण पर अनुसूचित जनजाति दावे :

1. जहां एक व्यक्ति राज्य के उस भाग से जहां उसका क्षेत्र/समुदाय अनुसूचित है, उसी राज्य के दूसरे भाग में जहां वह समुदाय/क्षेत्र अनुसूचित नहीं है तो वह अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा।
2. यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में देशांतरण करता है तो वह केवल उस राज्य (पूर्व राज्य) के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के सम्बन्ध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र.––अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निर्धारित प्राधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त
2. उपमण्डलीय दण्डाधिकारी/राजस्व अधिकारी तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति दावे.––मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है उसे अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना केवल इसलिए नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति से विवाह कर लिया है।

इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा जो अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

अन्तरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान का निर्धारण.––अनुसूचित जनजातीय तथा सामान्य वर्ग या इसके विपरीत अन्तरजातीय विवाह से उत्पन्न सन्तान के निर्धारण के विषय में राज्य कल्याण विभाग के पत्र संख्या : कल्याण–च (10)–32/78 दिनांक 4/5 नवम्बर, 1986 में विस्तृत खुलासा किया गया है।

अध्याय–4

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जनजातीय विकास विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उप–नियम 4 (1)(बी) के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना, कर्त्तव्यभार, कार्य एवं शक्तियां, जो जनता/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्रदान करने में तथा कार्य निष्पादन के स्तर को उन्नत करने में पारदर्शी एवं उत्तरदायी है, का विवरण इस प्रकार है :–

क. सरकार/सचिवालय स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव (ज0जा0वि0) हि0 प्र0 सरकार (अधिकारी की नियुक्ति पर निर्भर)	कार्यालय 2880479	जन सूचना अधिकारी
2	संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/ विशेष सचिव (ज0जा0वि0) हि0 प्र0 सरकार	कार्यालय 2620887	अपीलीय प्राधिकारी यदि अवर सचिव/उप–सचिव राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	सचिव (ज0जा0वि0) हि0 प्र0 सरकार	कार्यालय 2622269	अपीलीय प्राधिकारी यदि विशेष सचिव राज्य जन सूचना अधिकारी

ख. राज्य स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	उप–निदेशक (ज0जा0वि0) हि0प्र0 बिजलानी हाऊस, शिमला–2	कार्यालय 2621997	जन सूचना अधिकारी
2.	आयुक्त (ज0जा0वि0) हि0प्र0 बिजलानी हाऊस, शिमला–2	कार्यालय 2621997 आवास	अपीलीय अधिकारी

ग. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	1. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	किन्नौर का0 222273 आ0 222378	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र में जन सूचना अधिकारी
	2. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना लाहौल स्थित केलंग	लाहौल का0 202262 आ0 202262	
	3. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्पीति स्थित काजा	स्पीति का0 222302 आ0 222208	
	4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत	पांगी का0 242251	

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या		नामित पद
	जनजातीय विकास परियोजना पांगी स्थित किलाड़	आ0	242222	
	5. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर	भरमौर का0 आ0	225506 225505	
2.	जिला स्तर पर (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर, जिला किन्नौर, लाहौल, स्पीति जिला लाहौल–स्पीति, पांगी व भरमौर, जिला चम्बा को छोड़कर)			
	1. जिला योजना अधिकारी सम्बन्धित जिला के लिए	बिलासपुर	222668	जन सूचना अधिकारी
		चम्बा	226166	
		हमीरपुर	222702	
		कांगड़ा	223316	
		कुल्लू	222872	
		मण्डी	225212	
		शिमला	2808399	
		सिरमौर	224219	
		सोलन	223702	
		ऊना	226057	
3.	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (जहां पर अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त नहीं है)	बिलासपुर	224763	अपीलीय अधिकारी
		चम्बा	222540	
		हमीरपुर	224324	
		कांगड़ा	223322	
		कुल्लू	222226	
		मण्डी	225203	
		शिमला	2657003	
		सिरमौर	222410	
		सोलन	223705	
		ऊना	225188	

इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार नियम 2005 के नियम 4 उप–नियम (1)(बी) में दर्शाये गये प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय रिकार्ड तथा अन्य कार्यकलाप दर्शाये जाने का प्रावधान है जो इस प्रकार है :–

माननीय मुख्यमन्त्री, हि0प्र0 जनजातीय विकास विभाग के समग्र निरीक्षक होंगे। वर्तमान में माननीय जनजातीय विकास मन्त्री महोदय जनजातीय विकास विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। जनजातीय विकास विभाग का संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है :

क. सरकार के स्तर पर :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जनजातीय विकास), हि0प्र0 सरकार
2. विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (इनमें से जो भी कार्यरत हो)
3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासनिक शाखा निरीक्षक)

कार्य, शक्तियां तथा कर्त्तव्य इस प्रकार हैं :–

क्रमांक	विवरण	विस्तार
1.	संस्था के कार्यकलाप तथा पद के कर्त्तव्य का विवरण	**जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0** **मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जनजातीय विकास के कार्य निर्वहन कर्त्तव्य विवरण इस प्रकार हैं :–** 1. जनजातीय क्षेत्रों व राज्य के अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के लिए योजना बनाने में समन्वय स्थापित करना। 2. सभी नीतिगत मामले तथा जनजातीय क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति सदस्यों/समुदायों के लिए नई स्कीमों का परिचय। 3. परियोजना सलाहकार समिति, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन। 4. जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित मामलों में सभी विभागों को परामर्श प्रदान करना। 5. मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी सभी मामले। 6. जनजातीय क्षेत्र व राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित सभी विभागों के कार्यकलाप में समग्र समन्वय तथा मूल्यांकन करना । **विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप–सचिव/अवर सचिव** ऊपरलिखित सभी मुद्दों पर मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जनजातीय विकास) को सहयोग देना। **अनुभाग अधिकारी** जनजातीय विभाग सचिवालय प्रशासनिक शाखा के प्रभारी होने के साथ–साथ स्थापना, बजट, लेखा सम्बन्धी कार्य की देख–रेख करना।
ख.	**राज्य स्तर पर :** 1. आयुक्त (जनजातीय विकास) 2. अतिरिक्त आयुक्त (जनजातीय विकास) 3. उपनिदेशक (जनजातीय विकास) 4. अधीक्षक ग्रेड.प्प	

1. संस्था के कार्यकलाप तथा पद के कर्त्तव्य का विवरण

जनजातीय विकास विभाग, (हि0प्र0)

कार्यकलाप :

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय उप–योजना का कार्यान्वयन, समीक्षा तथा अनुश्रवण करना।

कर्त्तव्य :

स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनजातीय उप–योजना का कार्यान्वयन, मांग संख्या–31 के बजट में शामिल करना, स्कीमवार बजट आबंटन को कार्यान्वयन विभागों को आईटीडीपी में भेजना, वर्ष के दौरान राशि को पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से व्यय की समीक्षा बैठकें करना।

2. अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य

आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0

1. विभागाध्यक्ष
2. पृथक स्कीमों को स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां, कार्यों के रख–रखाव व मुरम्मत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां, स्कीमों के निष्पादन हेतु निर्धारित स्रोत से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां।
3. पृथक कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना, मशीनरी, औजार व संयंत्रों के मुरम्मत पर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
4. भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अन्य राज्यों के जनजातीय विभागों के समन्वय स्थापित करना।
5. सही अर्थों के प्रयोजन हेतु मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत मुख्य नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं।
6. जनजातीय सलाहकार परिषद, गद्दी कल्याण बोर्ड तथा गुज्जर कल्याण बोर्ड की बैठकों में सदस्य सचिव की शक्तियां प्राप्त हैं।
7. जनजातीय तथा गैर जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों/योजनाओं की प्रगति/समीक्षा बैठकें सम्बन्धित कार्यान्वयन विभागों से करने की शक्तियां।
8. परियोजनाओं/स्कीमों/नये कार्यों/चालू कार्यों के निरीक्षण की शक्तियां।

अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0

1. ऊपरलिखित सभी मुद्दों पर आयुक्त, जनजातीय विकास को सहयोग देना।

उप–निदेशक, जनजातीय विकास

1. कार्यालयाध्यक्ष
2. आयुक्त, जनजातीय विकास को प्रशासन में, जनजातीय उप–योजना के क्रियान्वयन में, बजट बनाने में, अनुसूचित जनजाति कल्याण में कार्यरत राज्य के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालय के मध्य समन्वय स्थापित करने इत्यादि कार्यों में सहायता प्रदान करना।
3. जनजातीय विकास विभाग में श्रेणी.प, श्रेणी.पप तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता व अन्य भत्तों के सन्दर्भ में नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां प्रदान हैं।
4. जनजातीय सलाहकार परिषद, गद्दी कल्याण बोर्ड, गुज्जर कल्याण बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बिलों के लिए नियन्त्रक अधिकारी।
5. जनजातीय क्षेत्र/गैर जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित कार्यों को कार्यान्वित करने वाले विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करना।
6. विभागीय गाड़ियों के लिए नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां।
7. समीक्षा बैठकों में भाग लेना

अनुसन्धान अधिकारी (मुख्यालय)

आहरण एवं वितरण अधिकारी

उप–निदेशक के कार्यों में सहायता करना तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर दिये गये कर्त्तव्य को निपटाना।

सहायक अनुसन्धान अधिकारी

1. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग स्कीमों की प्रक्रिया शुरु करना, मांग संख्या–31 के अन्तर्गत बजट, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना, जनजातीय उप–योजना स्कीमों/सीमा क्षेत्र विकास स्कीमों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित सभी प्रकार का पत्राचार तथा रिकार्ड रखना।

2. सभी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना

3. लोक लेखा समिति और विधान सभा आश्वासनों का कार्य करना।

सांख्यिकीय सहायक

जनजातीय उप–योजना को तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग स्कीमों की प्रक्रिया शुरू करना, मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट तैयार करना, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना, जनजातीय उप–योजना/सीमा क्षेत्र विकास योजना की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक

मानव विकास, सरकारी संस्थानों, नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के सूत्र ग्ए .36 के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूचना इत्यादि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना तथा इस सूचना को कम्प्यूटर में फीड करना।

प्रशासनिक कक्ष

अधीक्षक ग्रेड.प्प

जनजातीय भवन ढली के प्रबन्धक पद के कार्य को देखना।

अधीक्षक ग्रेड.प्प

1. अधीक्षक ग्रेड.प्प की देख–रेख में विभाग की प्रशासनिक शाखा के कार्यों का निरीक्षण।
2. सभी तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तैनात करना, चालकों की तैनाती तथा प्रतिदिन कार्यों की देख–रेख करना।
3. सभी कार्यकारी कर्मचारियों के रजिस्टर इत्यादि चैक करना तथा उन्हें अद्यतन स्थिति में रखना।
4. अनुभाग तथा उच्च अधिकारियों के बीच डाक तथा फाईलों को भेजने तथा लाने की निगरानी रखना।
5. समयबद्ध/न्यायिक मामलों को समय पर प्रस्तुत करना
6. कानून नियमावली, नियम, निर्देश, गार्ड–फाईल, अनुभाग के पूर्वता रजिस्टरों को अद्यतन स्थिति में रखना।

निजी सहायक

अधिकारियों को निम्न कार्यों में सहयोग देना :

1. दिन–प्रतिदिन बैठकों की सारणी रखना

2. सम्बन्धित अधिकारी के टैलीफोन कॉल की अनुपालना

3. श्रुतलेखन तथा टाईप का कार्य

4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए गये अन्य निर्देशों की अनुपालना।

वरिष्ठ सहायक

1. नई नस्तियों को खोलना तथा उनका रख–रखाव करना, सन्दर्भ ढूंढना, मामलों को नस्ति पर डील करना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, विभिन्न प्रकार के डाटा को अद्यतन स्थिति में रखना तथा विभिन्न रजिस्टरों को संभाल कर रखना।

2. स्थापना सम्बन्धी सभी कार्य जिसमें भर्ती एवं पदोन्नति नियम शामिल हैं, सर्विस बुक, सर्विस रिकार्ड, छुट्टियों का लेखा–जोखा, पैन्शन कागजात, अनुशासनात्मक मामले तथा निजी नस्तियों का रख–रखाव तथा उन्हें सम्भाल कर रखना।

कनिष्ठ सहायक/लिपिक

1. सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का आकस्मिक अवकाश रिकार्ड रखना।

2. स्टोर सम्बन्धी कार्य, डाक का प्रेषण, डायरी करना तथा टंकण सम्बन्धी कार्य करना।

3. वरिष्ठ सहायक द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले कार्यों का निपटाना तथा वरिष्ठ सहायक के कार्य को निपटाने में उसकी मद्द करना।

4. शीतकाल में जनजातीय क्षेत्रों के लिए की जाने वाली हैलीकॉप्टर की उड़ानों का संचालन करना।

वरिष्ठ/कनिष्ठ आशुलिपिक

अधिकारी को निम्न कार्यों में सहायता देना :

1. दिन–प्रतिदिन की कारगुजारी बारे अधिकारी को अवगत करवाना तथा बैठक बारे अवगत करवाना।

2. अधिकारी की टैलीफोन कॉल सुनना

3. श्रुतलेखन तथा टाईंपिंग कार्य

4. अधिकारी द्वारा बताये गये अन्य कर्त्तव्यभार

5. विभाग का टाईप सम्बन्धी कार्य

ग. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर :

1. आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी

2. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, किन्नौर, लाहौल, स्पीति, पांगी तथा भरमौर

इनके कार्य, शक्तियां इस प्रकार हैं :

1. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर कार्यरत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं।

2. पृथक–पृथक स्कीमों को स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां, कार्यों के रख–रखाव व मुरम्मत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां, इकहरी प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत स्कीमों के निष्पादन हेतु निर्धारित स्रोत से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां।

3. अनुसूचित जनजाति के हित के लिए चलाई जा रही स्कीमों/योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों के साथ बैठकें करना तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना।

4. चालू कार्यों/स्कीमों/परियोजनाओं तथा नये कार्यों का निरीक्षण करना।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर

1. जनजातीय उप–योजना कार्यान्वयन, समीक्षा बैठकों तथा जनजातीय उप–योजना राशि की उपयोगिता में आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की सहायता करना।

2. परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सदस्य सचिव की भूमिका निभाना।

3. जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों/स्कीमों जैसे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाभिक बजट स्कीम, विकास में जन सहयोग तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना सम्बन्धी समीक्षा बैठकों का कार्य संचालन करना।

4. आयुक्त (जनजातीय विकास) तथा क्षेत्रीय कार्यकताओं के साथ समन्वय करना।

5. जनजातीय उप–योजना तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यों/स्कीमों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आयुक्त (जनजातीय विकास) के कार्यालय में भेजना।

अनुसन्धान अधिकारी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर)

1. विभिन्न प्रकार के नियत किये गये कार्यों के सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी को सहयोग देना।

सहायक अनुसन्धान अधिकारी

1. जनजातीय क्षेत्र उप–योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग, मांग संख्या–31 के अन्तर्गत बजट, विभागवार/स्कीमवार बजट तैयार करना, उपरोक्त स्कीमों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्राचार तथा रिकार्ड करना।
2. रिपोर्ट तैयार करना।
3. लोक लेखा समिति और विधान सभा आश्वासनों सम्बन्धी कार्य।
4. पुनर्विनियोजन/विचलन मामलों में कार्यवाही करना

सांख्यिकीय सहायक

जनजातीय उप–योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग तथा मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी कार्य, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना। उपरोक्त स्कीमों की मासिक/ त्रैमासिक वित्तीय/ भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना ।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक

मानव विकास, सरकारी संस्थानों, नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के सूत्र ₹.36 के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूचना इत्यादि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना तथा इस सूचना को कम्प्यूटर में फीड करना।

अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (गैर–जनजातीय जिलों के लिए)

विशेष केन्द्रीय सहायता और जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों का समन्वय तथा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।

जिला योजना अधिकारी

राज्य के गैर–जन जातीय क्षेत्रों/माडा पॉकेट में रह रहे बिखरी हुई जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं व अन्य सम्बन्धित कार्यों का मूल्यांकन/समीक्षा।

3. पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सम्बन्धी निर्णयन कार्य प्रक्रिया कार्यविधि

राज्य में जनजातीय उप–योजना की धारणा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 से अपनाई गई थी। सरकार की योजना नीति अनुसार प्रतिवर्ष राज्य योजना आकार राशि का 9 प्रतिवर्ष भाग जनजातीय उप–योजना के लिए चिन्हांकित किया जाता है। राज्य योजना विभाग, राज्य योजना परिव्यय का अधिकतम 9 प्रतिशत हिस्सा जनजातीय विकास विभाग को

उपलब्ध कराता है, जनजातीय विकास विभाग द्वारा इन परिव्ययों को प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं जैसे किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित फार्मूला 20 प्रतिशत क्षेत्र, 40 प्रतिशत जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत आपेक्षिक पिछड़ापन पर आधारित है, के अनुसार निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है :–

किन्नौर	30 प्रतिशत
लाहौल	18 प्रतिशत
स्पिति	16 प्रतिशत
पांगी	17 प्रतिशत
भरमौर	19 प्रतिशत

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की अपनी–अपनी प्राथमिकताएं होती हैं जिनके आधार पर धन का आबंटन उस क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यों/स्कीमों के लिए किया जाता है। उपरोक्त आबंटन के आधार पर प्रत्येक परियोजना क्षेत्र अपनी योजना तैयार करते हैं जिसमें परियोजना सलाहकार समिति जिसमें सभापति सम्बन्धित विधायक या उपायुक्त होते हैं, की मंजूरी ली जाती है। परियोजना सलाहकार समिति द्वारा पारित की गई जनजातीय उप–योजना को जनजातीय विकास विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर संकलित करके सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के परामर्श उपरान्त अन्त में इसे जनजातीय उप–योजना में शामिल किया जाता है। जनजातीय विकास विभाग द्वारा जनजातीय उप–योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है तथा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि की उपयोगिता के लिए जिम्मेदार हैं इसके लिए विभिन्न स्कीमों का अनुश्रवण किया जाता है।

4. कार्य के निष्पादन हेतु स्थापित किये गए मानक

जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने की अवधि सीमित है। अधिक ठंड तथा बर्फ गिरने के कारण कार्यों के निष्पादन हेतु व्यय मानक इस प्रकार रखे गये हैं :

तिमाही	तिमाही के मानक	संचित मानक
प्रथम	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत
द्वितीय	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
तृतीय	25 प्रतिशत	85 प्रतिशत
चतुर्थ	15 प्रतिशत	100 प्रतिशत

5. कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली तथा अभिलेख

विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश/नियमावली, का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. सी0सी0एस0 लीव रूल्ज़, 1972

2. सीसीएस एण्ड सीसीए रूल्ज़
3. एचपीएफआर रूल्ज़
4. एचपीएफआर एण्ड एसआर रूल्ज़
5. मैडिकल एटैन्डैन्स रूल्ज़
6. जनरल फाईनॉन्स रूल्ज़
7. एचबी एडवान्स रूल्ज़
8. डेलीगेशन ऑफ फाईनेन्सियल पॉवर रूल्ज़
9. लीव–ट्रैवल कन्सैशन रूल्ज़
10. बजट मैनुअल
11. ऑफिस मैनुअल
12. व्हीकल रूल्ज़
13. पैंशन रूल्ज़
14. जीपीएफ रूल्ज़

6. विभाग के पास उपलब्ध श्रेणीबद्ध दस्तावेजों का विवरण

1. वार्षिक जनजातीय उप–योजना दस्तावेज
2. जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट परिव्यय पुस्तिका।
3. परियोजना क्षेत्रवार निर्माण कार्यों की सूची
4. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
5. सांख्यिकीय प्रोफाईल

7. नीति निर्धारण तथा उसके कार्यान्वयन हेतु जन सदस्यों के परामर्श तथा अभ्यावेदन हेतु उपलब्ध व्यवस्था के विशेष

परियोजना सलाहकार समिति : प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के लिए परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता स्थानीय विधायक या सम्बन्धित उपायुक्त करते हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों के संसद सदस्य, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के क्रमशः दो–दो सदस्य, सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के जनजातीय सलाहकार परिषद् के सदस्य तथा परियोजना क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी जिसमें बोर्ड तथा कार्पोरेशन भी शामिल हैं, ये सभी परियोजना सलाहकार समिति के सदस्य हैं । सामान्यतः आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी समिति के उपाध्यक्ष हैं होते हैं। परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना इस समिति के सदस्य सचिव हैं। परियोजना सलाहकार समिति अपने सम्बन्धित परियोजना क्षेत्रों में जनजातीय उप–योजना को बनाने, क्रियान्वयन करने तथा इसकी समीक्षा का कार्य करती है।

जनजातीय सलाहकार परिषद् : भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 ;पद्ध भाग–बी के पैरा–4 के अन्तर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन हुआ है। इस परिषद्

का गठन 13–12–1977 को किया गया। इसके गठन के बाद पहली बैठक दिनांक 24–6–1978 को हुई थी, तत्पश्चात् इस परिषद् की अब तक 46 बैठकें हो चुकी हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद् के कुल 22 सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष (मुख्य मन्त्री) भी शामिल हैं। यद्यपि स्वभाव से यह परिषद् परामर्शदात्री है परन्तु परम्परानुसार इसके माध्यम से की गई सिफारिशें आमतौर पर सरकार द्वारा मान ली जाती है या कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन्हें विचार–विमर्श के बाद परिषद् द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, इसके अतिरिक्त यह परिषद् जनजातीय उप–योजना के कार्यान्वयन का कार्य भी देखती है।

8.	**बोर्डों, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकायों का विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों का गठन, या परामर्श हेतु क्या इन बोर्डों, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकायों की बैठकों का विवरण जनता के लिए उपलब्ध है या इन बैठकों की कार्यवाही का विवरण जनता को मान्य है,**	परियोजना सलाहकार समिति की बैठकें तिमाहीवार प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में की जाती हैं जबकि जनजातीय सलाहकार परिषद् की बैठकें वर्ष में दो बार की जाती है। इन समितियों/परिषद् के सरकारी/गैर –सरकारी सदस्य ही बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु इन बैठकों के कार्यवाही विवरणों की यदि आम जनता को आवश्यकता हो तो इसे उपलब्ध करवाया जा सकता है।
9.	**अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका**	1. आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0 2. अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0 3. उप–निदेशक, जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0 4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर। 5. अनुसन्धान अधिकारी, (मुख्यालय/परियोजना स्तर पर) 6. अधीक्षक ग्रेड.प 7. निजी सहायक ग्रेड.प 8. सहायक अनुसन्धान अधिकारी (मुख्यालय तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर) 9. सांख्यिकीय सहायक 10. वरिष्ठ सहायक 11. वरिष्ठ आशुलिपिक 12. कनिष्ठ आशुलिपिक 13. कनिष्ठ सहायक/लिपिक

14. गणक–एवं–टंकक (अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक)

15. वाहन चालक

16. चपड़ासी

17. दैनिक वेतन भोगी अन्य स्टाफ

10.	**प्रत्येक का मासिक पारिश्रमिक**	1. आयुक्त ज0जा0वि0	₹ 1ए82ए200 पे मैट्रिक्स लेवल–15
		2. अतिरिक्त आयुक्त ज0जा0वि0	₹ 1ए23ए100 पे मैट्रिक्स लेवल–13
		3. उप–निदेशक	₹ 15600.39100/ऊच 6600
		4. परियोजना अधिकारी	₹ 15600.39100/ऊच 5400
		5. अनुसन्धान अधिकारी	₹10300.34800/ ऊच 5000 ;वित पदपजपंससल जूव लमंतद्ध ₹15600.39100/ऊच 5400 ;जिमत जूव लमंतद्ध
		6. अधीक्षक ग्रेड.प्प	₹ 10300.34800/ऊच 4800
		7. निजी सहायक	₹ 10300.34800/ऊच 4800
		8. सहायक अनुसन्धान अधिकारी ;ज भ्फ ंदक प्ज्क्च्द्ध	₹ 10300.34800/ऊच 4200 ;वित पदपजपंससल जूव लमंतद्ध ₹ 10300.34800/ऊच 4600 ; ंजिमत जूव लमंतद्ध
		9. सांख्यिकीय सहायक	₹ 10300.34800/ऊच 3800 ;वित पदपजपंससल जूव लमंतद्ध ₹10300.34800/ऊच 4400 ;जिमत जूव लमंतद्ध
		10. वरिष्ठ सहायक	₹ 10300.34800/ऊच 4400
		11. वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	₹ 10300.34800/ऊच 4400
		12. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	₹ 10300.20200/ऊच 3200 ;वित पदपजपंससल जूव लमंतद्ध ₹ 10300.20200/ऊच 3600 ;जिमत जूव लमंतद्ध
		13. लिपिक	₹ 5910.20200/ऊच 1900 ;वित पदपजपंससल जूव लमंतद्ध ₹ 10300.34800/ऊच 3200 ;जिमत जूव लमंतद्ध
		14. गणक एवं टंकक (अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक)	₹ 5910.20200/ऊच 1900
		15. वाहन चालक	₹ 5910.20200/ऊच 2000 ;वित पदपजपंससल जूव लमंतद्ध ₹ 5910.20200/ऊच 2400

			;जिमत जूव लमंतद्ध
		16. चपड़ासी / चौकीदार	꜀ 4900.10680̣ळच 1300 ;वित पदपजपंससल जूव लमंतद्ध ꜀ 4900.10680̣ळच 1650 ;जिमत जूव लमंतद्ध
		17. दैनिक भोगी कार्यकर्ता	वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों अनुसार।

उपरोक्त वेतनमान के अतिरिक्त सभी देय भत्ते भी दिये जाते हैं।

11.	प्रत्येक अभिकरण को बजट के आबंटन तथा योजना, प्रस्तावित व्यय व अदायगी रिपोर्टों का विवरण।	मुख्यालय तथा परियोजना स्तर पर प्रत्येक कार्यालय को बजट का आबंटन मानकवार किया जाता है तथा व्यय का निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है।
12.	उपदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित राशि के कार्यान्वयन का तरीका तथा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण।	जनजातीय विकास विभाग उपदान से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सीधे तौर पर कार्यान्वित नहीं करता।
13.	सुविधा परमिट पाने वाले के उदाहरण जिन्हें प्राधिकृत किया गया हो।	जनजातीय विकास विभाग के कर्मचारियों को इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं / परमिट प्रदान नहीं किये गये हैं।
14.	सूचना की उपलब्धता बारे विवरण जिसे इलैक्ट्रोनिक रूप में घटाकर रखा गया हो।	स्कीमवार / विभागवार योजना परिव्यय उपलब्ध है
15.	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों की सुविधा बारे विवरण जिसमें जनता के लिए, लाईब्रेरी या वाचनालय यदि कोई भी हो	आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग का आयुक्त कार्यालय तथा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही स्कीमों / कार्यक्रमों तथा धनराशि के आबंटन बारे आम जनता द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय हमेशा खुले हैं जिससे आम जनता

	शामिल है ।	सूचना प्राप्त कर सकती है। यह कार्यालय सप्ताह में छः दिन (छुट्टी को छोड़कर) सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुले रहते हैं।
16.	**जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण।**	जैसा कि अध्याय 4 में दर्शाया गया है।
17.	**ऐसी कोई अन्य सूचना जिसे निर्धारित किया जाना हो, तदोपरान्त प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाना हो।**	राज्य स्तर तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर की सांख्यिकीय प्रोफाईल।

इस नये एक्ट के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशनों के अनुसार उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समय रहते आवश्यक तैयारी बारे पग उठाये जाएं व तैयारी बारे पग उठाये जाएंगे।

वर्ष 2019–20 के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त पत्रों के निपटारे सम्बधी ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया हैः

च्थ्व्ड। थ्व् थ्न्त्छैप्ैप्छळ व्थ् प्छथ्व्ड।ज्प्व्छ ज्व् ैज्।ज्म् प्छथ्व्ड।ज्प्व्छ ब्व्डडप्ैैप्व्छ भ्व्ड।ठ।स् च्त्।क्म्ैभ् थ्व्त् ज्भ्म् ।छछन्।स् त्म्च्व्त्ज् 2019.20 ;नदकमत ैमबजपवद 25 वि जीम त्पहीज जव प्दवितउंजपवद ।बजए 2005द्ध) वद डंतबी 31ए 2020

ैसण छवण	छंउम वि जीम च्नइसपब ।नजीवतपजल नदकमत जीम क्मचंतजउमदज	छवण वि तमुनमेज तमबमपअमक	क्मबपेपवद ूीमतम तमुनमेज ूमतम तमरमबजमक					।चचमंस पिसमक इमवितम जीम ।चचमससंदज ।नजीवतपजल			।चचमंसे पिसमक इमवितम जीम ैजंजम प्दवितउंजपवद ब्वउउपेपवद			छवण वि बेंमे ूीमतम कपेबपचसपदंतल ंबजपवद ू ंजांमद ंहंपदेज ंदल वििपबमत पद तमेचमबज वि ंकउपदपेजतंजपवद वि ंबज	।उवनदज वि बींतहमे बवससमबजमक
			छनउइमत वि क्मबपेपवद	छवण वि जपउमे अंतपवने चतवअपेपवद ूमतम पदअवसअमक				छवण वि ंचचमंसे	व्नजबवउम वि ंचचमंसे		छवण वि ंचचमंसे	व्नजबवउम वि ंचचमंसे			
				ैमबण 8	ैमबण 9	ैमबण 11	ैमबण 24		।चचमंसे ंबबमचजमक	।चचमंसे तमरमबजमक		।चचमंसे ंबबमचजमक	।चचमंसे तमरमबजमक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ैजंजम स्मअमस च्नइसपब ।नजीवतपजल															
1ण	क्मचनजल क्पतमबजवत ज्तपइंस क्मअण क्मचजजण्द्ध	35 छवेण	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	440ण00
प्दजमहतंजमक ज्तपइंस क्मअमसवचउमदज च्तवरमबज स्मअमस															
1ण	च्तवरमबज व्ििपबमतए प्ज्क्च्ए ठींतउंनत	छपस	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2ण	च्तवरमबज व्ििपबमतए प्ज्क्च्ए ज्ञपददंनत ंज त्मबावदह च्मव	छपस	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3ण	च्तवरमबज व्ििपबमतए प्ज्क्च्ए ैचपजप ंज ज्ञं	छपस	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4ण	च्तवरमबज व्ििपबमतए प्ज्क्च्ए ैंनस ंज ज्ञमलसवदह	छपस	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5ण	च्तवरमबज व्ििपबमतए प्ज्क्च्ए च्ंहप ंज ज्ञपससंत	छपस	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

छवजमण् *व्दसल 35 तमुनमेजे ेंअम इममद तमबमपअमक पद जीम क्मचंतजउमदज कनतपदह जीम लमंत 2019.20 ंदक ंसस कपेचवेमक वि ंज जीम समअमस व िच्प्व्ण्*

अनुबन्ध–1

जनजातीय विकास विभाग संगठन चार्ट

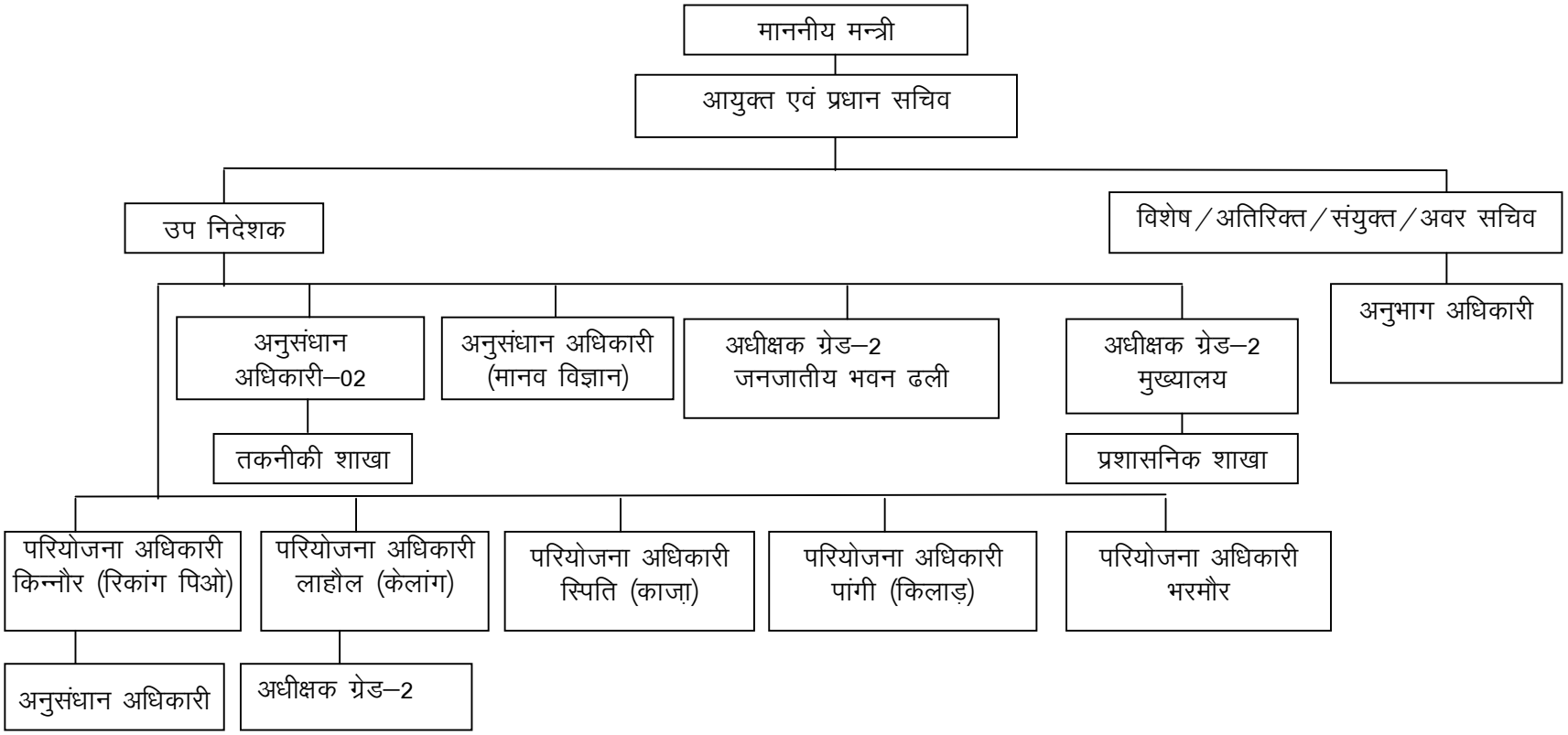

अनुबंध–2

भ्मंक वि क्मिअण् पेम ।बजनंस म्गचण 2018.19 ंदक ।दजपण म्गचण 2019.20 ;त्ेण पद संीद्ध			
डंरवत भ्मंक वि क्मिअण	।ददनंस च्संद 2018.19	।ददनंस च्संद 2019.20	
	।बजनंस म्गचण	।चचण ल्नजसंल	।दजपण म्गचण
1	2	3	4
।ण्म्ब्व्छव्डप्ब् ैम्ब्ज्व्त्ै			
प्ण ।हतपबनसजनतम – ।ससपमक ।बजपअपजपमेरू			
ब्तवच भ्नेइंदकतलरू			
ंद्ध ।हतपबनसजनतम	1590ण51	931ण00	931ण00
इद्ध भ्वतजपबनसजनतम	1210ण97	1661ण00	1661ण00
ैवपस – ॅंजमत ब्वदेमतअंजपवद			
ंद्ध ।हतपबनसजनतम	365ण59	560ण00	560ण00
इद्ध थ्वतमेजे	33ण30	53ण00	53ण00
।दपउंस भ्नेइंदकतल	752ण22	728ण00	728ण00
क्ंपतल क्मअमसवचउमदज	153ण00	162ण00	162ण00
थ्पीमतपमे	106ण88	56ण00	56ण00
थ्वतमेजे			
पद्ध थ्वतमेजतल	860ण60	1669ण00	1669ण00
पपद्ध ॅपसक स्पमि	11ण83	13ण00	13ण00
।हतपबनसजनतम त्मेमंतबी म्कनबंजपवदरू			
ंद्ध ।हतपबनसजनतम	49ण00	900ण00	900ण00
इद्धभ्वतजपबनसजनतम	0ण00	810ण00	810ण00
बद्ध ।दपउंस भ्नेइंदकतल	0ण00	65ण00	65ण00
कद्ध थ्वतमेजे	0ण00	50ण00	50ण00
मद्ध थ्पीमतपमे	3ण00	4ण00	4ण00
डंतामजपदह ंदक ुनंसपजल बवदजतवस			
ंद्ध भ्वतजपबनसजनतम	0ण00	123ण00	123ण00
ठद्ध ब्व.वचमतंजपवद	97ण27	84ण00	84ण00
ज्वजंस ।हतपबनसजनतम – ।ससपमक ।बजपअपजपमे	**5234ण17**	**7869ण00**	**7869ण00**
प्प् त्नतंस क्मअमसवचउमदजरू			
ंद्ध ैचमबपंस त्ववहतंउउम	722ण26	724ण00	724ण00
इद्ध ब्वउउनदपजल क्मअण	717ण20	169ण00	169ण00
बद्ध स्ंदक त्मवितउे	38ण73	109ण00	109ण00
कद्ध च्ंदबींलंजे	785ण56	935ण00	935ण00
ज्वजंस प्प् त्नतंस क्मअण	**2263ण75**	**1937ण00**	**1937ण00**
प्प्प् ैचमबपंस ।तमं त्ववहतंउउम रू			

ठव्क्म्त ।त्म। क्म्टम्स्व्चडम्छज च्व्लण;ठ ।क्व्द्ध			
ठवतकमत ।तमं क्मअण च्तवहण	**2994ण43**	**2778ण00**	**2778ण00**
प्टण प्ततपहंजपवद – थ्सववक ब्वदजतवस रू			
डरवत – डमकपनउ प्ततपहंजपवद	0ण00	0ण00	0ण00
डपदवत प्ततपहंजपवदरू			
;ंद्ध प्—च्ध् क्मचजजण	1229ण79	2755ण00	2755ण00
ब्वउउंदक ।तमं क्मअण			
थ्सववक ब्वदजतवस	108ण94	273ण00	273ण00
ज्वजंस प्ट प्ततपहंजपवद – थ्सववक ब्वदजतवस	**1338ण73**	**3028ण00**	**3028ण00**
टण म्दमतहल रू			
च्वूमत			
1ण ळमदमतंजपवद			
;ंद्ध म्‌नपजल बवदजतपइनजपवद पद भ्च् च्वूमत ब्वतचण	2560ण00	2600ण00	2600ण00
;इद्ध ।क्ठ ैींतम जव च्वूमत च्तवरमबजे ;स्वंदद्ध	0ण00	4700ण00	4700ण00
2ण ज्तंदेउपेपवद – क्पेजतपइनजपवद			
;ंद्ध म्‌नपजल जव ज्तंदेउपेपवद – क्पेजतपइनजपवद	690ण00	800ण00	800ण00
;इद्ध ।क्ठ ैींतम जव भ्च्च्ब्स् ;स्वंदद्ध	2800ण00	1900ण00	1900ण00
;बद्ध ज्ञथ्ॅ ैींतम जव चवूमत चतवरमबजे ;स्वंदद्ध	0ण00	9ण00	9ण00
;कद्ध त्ंरपअ ळंदकीप ळतंउपद टपकलनज ल्वरंदंतनतंस मसमबजतपपिबंजपवदध् 13जी थ्ब् ूंतक	0ण00	0ण00	0ण00
;मद्ध म्‌नपजल जव भ्च्ैम्ठ स्जकण	625ण00	625ण00	625ण00
;द्धि ठपवहें क्मअमसवचउमदज	0ण00	0ण00	0ण00
;हद्ध छवद.बवदअमदजपवदंस मदमतहल	170ण00	150ण00	150ण00
ज्वजंसरू म्दमतहल	**6845ण00**	**10784ण00**	**10784ण00**
टप्ण प्दकनेजतल – डपदमतंसे रू			
टपससंहम – ैउंसस प्दकनेजतल	260ण47	316ण00	316ण00
स्ंतहम – डमकपनउ प्दकनेजतल	1ण85	3ण00	3ण00
डपदमतंस कमअण	3ण95	4ण00	4ण00
ज्वजंस.टप्.प्दकनेजतल – डपदमतंसे	**266ण27**	**323ण00**	**323ण00**
टप्प् ज्तंदेचवतज रू			
ब्पअपस ।अपंजपवद	16ण95	91ण00	91ण00
त्वंके – ठतपकहमे	6511ण48	8375ण00	8375ण00
डंपदजमदंदबम व ित्वंके			
त्वंक ज्तंदेचवतजरू			

त्वंक ज्तंदेचवतजरू	675ण99	738ण00	738ण00
प्दसंदक ॅजमत ज्तंदेचवतज			
व्जीमत ज्तंदेचवतज ैमतअपबमे			
पद्ध त्वचमूंलेध्ध्ंइसमूंले	6ण68	25ण00	25ण00
पपद्ध ज्मसमबवउउनदपबंजपवद			
तंपस ज्तंदेचवतज			
ज्वजंस टप्.ज्तंदेचवतज	**7211ण10**	**9229ण00**	**9229ण00**
टप्प्प् ब्वउउनदपबंजपवद रू			
प्ण ैबपमदबमए ज्मबीदवसवहल — म्दअपतवदउमदज रू			
ैबपमदजपपिब त्मेमंतबी ;पदबसनकपदह ै—ज बवनदबपसद्ध			
ैबपमदजपपिब त्मेमंतबी ंदक ै—ज कमचजजण			
म्बवसवहल — म्दअपतवदउमदज			
प्दवितउंजपवद ज्मबीदवसवहलध्ध्ळप्।	64ण00	0ण00	0ण00
प्ण्ज्वजंस. ैबपमदबमए ज्मबीदवसवहल — म्दअपतवदउमदज रू	**64ण00**	**0ण00**	**0ण00**
ग्ण ळमदमतंस म्बवदवउपब ैमतअपबम रू			
ैमबजजण म्बवण ैमतअपबमे			
ैजंजम च्संददपदह डंबीपदमतल	0ण00	0ण00	0ण00
म्ाबपेम — जंगंजपवद			
ज्वनतपेउ	81ण32	85ण00	85ण00
ैनतअमल — ैजंजपेजपबे			
ब्पअपस ैनचचसपमे	139ण22	35ण00	35ण00
व्जीमत ळमदण म्बवण ैमतअपबमे			
ॅमपहीजे ंदक डमेंनतमे	1ण00	1ण00	1ण00
व्जीमत ;प्थ्—च्म्द्ध			
क्पेजजण च्संददपदह			
ब्वदेनउमत थ्वतनउ			
ठपवजमबीदवसवहल			
प्दवितउंजपवद ज्मबीदवसवहल			
ज्वजंसरू ग.ळमदमतंस म्बवण ैमतअपबम	**221ण54**	**121ण00**	**121ण00**
ज्व्।स्.।.म्ब्छव्डप्ब् ैम्त्टप्ब्म्ैरू	**26438ण99**	**36069ण00**	**36069ण00**
ठण्ब्व्।स् ैम्त्टप्ब्म्ै			
ग्प्ण ैवबपंस ैमतअपबमे रू			
1ण म्कनबंजपवद — ।ससपमक ैचवतजे			
ंद्ध ळमदमतंस म्कनबंजपवद			
पद्ध म्समउमदजंतल म्कनबंजपवद	2312ण02	3865ण00	3865ण00
पपद्ध ैमबवदकंतल म्कनबंजपवद	3562ण25	3498ण00	3498ण00
पपपद्ध न्दपअमतेपजल — भ्पहीमत म्कनबंजपवद	1339ण23	1510ण00	1510ण00

पअद्ध ज्मबीदपबंस म्कनबंजपवद	231ण49	479ण00	479ण00
अद्ध ज्मबीदपबंस म्कनबंजपवद ;ब्विजिउमद – ज्तंपदपदहद्ध	231ण49	479ण00	479ण00
अपद्ध ।तज – ब्नसजनतम	234ण31	194ण00	194ण00
अपपद्ध ैचवतजे – ल्वनजी ॅमतअपबमे	234ण94	220ण00	220ण00
अपपपद्ध स्दहनंहम क्मअमसवचउमदज			
पगद्ध चीलेपबंस म्कनबंजपवद			
व्जीमतेरू			
पद्ध डवनदजंपदममतपदह – ।ससपमक ैचवतजे	40ण91	47ण00	47ण00
पपद्ध ळंमजजममते			
पपपद्ध ।कनसज म्कनबंजपवद			
ज्वजंस.म्कनबंजपवद – ।ससपमक ैचवतजे	**7955ण15**	**98ण13**	**98ण13**
भ्मंसजी			
ंद्ध ।ससवचंजील	3122ण57	3495ण00	3495ण00
इद्ध ।लनतअमकं	581ण63	765ण00	765ण00
बद्ध डमकपबंस म्कनबंजपवद – त्मेमंतबी	656ण23	1023ण00	1023ण00
ज्वजंस 2रू भ्मंसजी	**4360ण43**	**5283ण00**	**5283ण00**
पद्ध ॅंजमत ैनचचसल –ैंदपजंजपवद			
ंद्ध न्तइंद ॅंजमत ैनचचसल			
इद्ध त्नतंस ॅंजमत ैनचचसल पदबसनकपदह तमउवकमसपदह	1143ण47	1380ण00	1380ण00
ैमूमतंहम	0ण00	200ण00	200ण00
बद्ध त्नतंस ैंदपजंजपवद			
पपद्ध भ्वनेपदह			
ंद्ध च्वसपबम ळवअजण भ्वनेपदह	122ण96	212ण00	212ण00
इद्ध भ्वनेपदह क्मचंतजउमदज			
बद्ध त्नतंस भ्वनेपदह ;ैंजंम भ्वनेपदह ैबीमउमद्ध।ल्द्ध	139ण60	177ण00	177ण00
कद्ध च्वसपबम भ्वनेपदह	474ण00	477ण00	477ण00
मद्ध ैजंजम ळवअमतदउमदज ैमतअंदजे ैपजम			
द्धि भ्वनेपदह स्वंदे जव ळवअजण मउचसवलममे			
पपपद्ध न्तइंद क्मअमसवचउमदजरू			

ंद्ध ज्वूद ंदक बवनदजतल चसंददपदह	147ण00	170ण00	170ण00
इद्ध म्दअपतवदउमदज वन्तिइंद ेसनउे			
बद्ध ळण्ए। जव न्तइंद स्वबंस ठवकपमे	2ण13	44ण00	44ण00
कद्ध न्तइंद क्मअमसवचउमदज	0ण00	0ण00	0ण00
ज्वजंसरू 3ण्जमत ेनचचसलए ेदण भ्वनेपदह – न्तइंद क्मअमसवचउमदज	**2029ण16**	**2660ण00**	**2660ण00**
प्दवितउंजपवद – च्नइसपबपजल	**11ण35**	**15ण00**	**15ण00**
ॅमसतिम व िैब्ध्ैज्ध्व्ठब्े			
ंद्ध ॅमसतिम व िैब्ध्ैज्ध्व्ठब्े	276ण87	420ण00	420ण00
इद्ध ेवबपंस ॅमसतिम	1472ण16	1540ण00	1540ण00
बद्ध ैब्ैज् क्मअण् ब्वतचण्	48ण00	48ण00	48ण00
ज्वजंसरू5ण्ॅमसतिम व िैब्ैज् व्ठब्े	**1797ण03**	**2008ण00**	**2008ण00**
स्ंइवनत – स्ंइवनत ॅमसतिम	**10ण15**	**16ण00**	**16ण00**
ॅव्डम्छ – ब्भ्प्स्क् क्म्टण् प्छब्स्न्क्प्छळ छन्ज्त्प्ज्प्व्छ			
ंद्ध बीपसक ॅमसतिम	757ण58	2840ण00	2840ण00
इद्ध ॅवउमद ॅमसतिम	33ण97	48ण00	48ण00
ॅवउमद कमअण् बवतचण्			
व्जीमत अवसनदजंतल वतहण्			
बद्ध ेछच प्दबसनकपदह प्ब्क्ै	917ण78	734ण00	734ण00
ज्वजंसरू ॅवउमद – बीपसक क्मअण् पदबसण् दनजतपजपवद	**1709ण33**	**3622ण00**	**3622ण00**
ज्वजंसरू ठण् ेवबपंस ेमतअपबमे	**17872ण60**	**23417ण00**	**23417ण00**
ब्ण् म्ब्व्छव्डप्ब् ैम्त्टप्ब्म्ैरू			
ग्प्प् ळमदमतंस ेमतअपबमे			
ेजंजपवदमतल – च्तपदजपदह			
च्नइसपब ॅवतो	460ण55	645ण00	645ण00
व्जीमतेरू			
त्मअमदनम क्मचजजण्			
ंद्ध भ्फ।			
इद्ध छनबसमने ठनकहमज	90ण00	90ण00	90ण00
पद्ध च्मवचसमश्े चंतजपबपचंजपवद पद पिमसक क्मअण् ;टडश्रद्ध	92ण83	110ण00	110ण00
पपद्धद्ध टपकींला ड्डीमजतं टपों छपकीप ल्वरदं	335ण00	335ण00	335ण00
बद्ध ज्तपइंस क्मअण् डंबीपदमतल	1279ण06	2900ण00	2900ण00
कद्ध च्वसपबम ज्मसमबवउउनदपबंजपवद			
मद्ध श्रनकपबपंतल	0ण00	1ण00	1ण00
द्धि च्तपेपवद क्मचजजण्	100ण00	150ण00	150ण00
हद्ध थ्पतम ेमतअपबमे	0ण00	1ण00	1ण00

ीद्ध भ्वउम ळनंतक क्मचजजण	0ण्00	150ण्00	150ण्00
पद्ध टपहपसंदबम क्मचजजण	0ण्00	32ण्00	32ण्00
ज्वजंसरू ६ ळमदमतंस ैमतअपबमेरू	**2357ण्44**	**4414ण्00**	**4414ण्00**
ज्व्ज्।स ;।ठ़ब्द्ध	**46669ण्03**	**63900ण्00**	**63900ण्00**

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला——195—टी.डी./2021——10—6—2021——100 प्रतियां।